| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| | 1 | |

# उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

**आर0एम0ए0 वाद संख्या– 04/2014–15**

**छीता सोरेन –बनाम– रीचु हेम्ब्रम**

अपीलार्थी :– छीता सोरेन, पति–बासीत हेम्ब्रम, पिता–स्व0 बुधना सोरेन, सा0–गवई भीठा, थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादी प्रथम पक्षः– रीचु हेम्ब्रम, पिता–स्व0 दुखन हेम्ब्रम, सा0–गवई भीठा, थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादी द्वितीय पक्षः– 16 आना रैयत, मौजा–गवई भीठा।

11/03/22

## –: आदेश :–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी छीता सोरेन, पति–बासीत हेम्ब्रम, पिता–स्व0 बुधन सोरेन, सा0–गवई भीठा, थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पी0ए0 वाद संख्या 224/2006–07 (रीचु हेम्ब्रम वगै0 –बनाम– 16 आना रैयत, मौजा–गवई भीठा) में दिनांक 27.03.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। साथ में कालक्षान्ति आवेदन धारा–5 के तहत दाखिल किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए वाद को अंगीकृत किया गया। उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 130/डी0बी0, दिनांक 09.09.2014 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर आदेश पारित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

आगे अपने तर्क में यह भी कहा कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज अपीलार्थी के प्रधानी दावा को स्वीकार किया, जो वास्तविक एवं वैध है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष का दावा अवास्तविक एवं अवैध है।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए था कि मौजा के पूर्व प्रधान कौन था। उत्तरवादी के वंशज कभी भी प्रधान नहीं था। मौजा का पूर्व प्रधान अपीलार्थी का दादा बड़ा धानु सोरेन था, जिसका नाम जमाबंदी–I के खतियान में दर्ज है, जो मौजा–गवई भीठा के खतियानी प्रधान थे।

आगे उन्होने यह भी कहा कि मौजा–गवई भीठा में 16 आना रैयत द्वारा चुना गया प्रधान है। वंशावली तालिका के अनुसार बड़ा धानु सोरेन (प्रधान) के दो पुत्र थे, जिसका नाम कदरू सोरेन एवं भीम सोरेन है। भीम सोरेन की मृत्यु नावल्द हुई एवं कदरू सोरेन के दो पुत्र थे, जिसका नाम बुधन सोरेन और बरियार सोरेन एवं एक पुत्री

| आदेश की कमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|



सालगी सोरेन। बरियार सोरेन एवं सालगी सोरेन नावल्द थे। बुधन सोरेन के तीन पुत्री थे। छीता सोरेन, कपरू सोरेन एवं चुड़की सोरेन। छीता सोरेन इस वाद में अपीलार्थी है।

अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन सोच विचार कर कपटपूर्ण है, जिसके आधार पर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज उत्तरवादी को प्रधान नियुक्त कर दिया, जो सरासर गलत है। जबकि अपीलार्थी के सभी कागजातों का रहते हुए भी विचार नहीं किया गया।

उन्होने विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा P.A. Case No. 224/2006-07 रीचु हेम्ब्रम –बनाम– 16 आना रैयत मौजा–गवई भीठा दिनांक 27.03.2012 को पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना तर्क में कहा कि रीचु हेम्ब्रम, पिता–स्व0 दुखिया हेम्ब्रम, सा0–गवई भीठा, थाना नं0–30, मौजा–गवई भीठा का पूर्व प्रधान दुखिया हेम्ब्रम का पुत्र है, जिसे विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने सही मानते हुए मौजा–गवई भीठा का प्रधान नियुक्त किए है, जो न्यायसंगत है।

आगे उन्होने यह भी तर्क दिए कि मेरे स्व0 पिता–दुखिया हेम्ब्रम के पूर्व मेरे स्व0 दादा मौजा–गवई भीठा के प्रधान थे। उसके मृत्युपरान्त वर्तमान में उत्तरवादी मौजा के नियुक्त प्रधान है। निम्न न्यायालय में दाखिल राजस्व खजाना से भी स्पष्ट है कि मौजा प्रधान दुखिया हेम्ब्रम द्वारा मौजा के 16 आना रैयतों को खजाना लेकर रसीद निर्गत की गई है। वसूली की गई राजस्व लगान की राशि अंचल कार्यालय में जमा की गई, जिसकी रसीद निर्गत की गई है।

उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि निम्न न्यायालय द्वारा मौजा–गवईभीठा का जाँच अंचल अधिकारी, बोरियो से कराने के पश्चात सभी आवेदनों पर विचारोपरान्त उत्तरवादी रीचु हेम्ब्रम, पिता–स्व0 दुखिया हेम्ब्रम को मौजा–गवईभीठा का प्रधान नियुक्त किये गये, जो बरकरार (Upheld) रखने योग्य है।

उन्होंने विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा प्रधानी वाद संख्या 224/2006–07 में दिनांक 27.03.2012 को परित आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किये है।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा प्रधानी वाद संख्या 224/2006–07 के मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने सभी आवेदकों के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बोरियो से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर उत्तरवादी रीचु हेम्ब्रम, पिता–दुखिया हेम्ब्रम को प्रधान के पद पर नियुक्त किये है।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने अपने आदेश में जिक्र किए है कि अंचल अधिकारी, बोरियो से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक रीचु हेम्ब्रम, पे0–स्व0 दुखिया हेम्ब्रम, सा0–गवई भीठा, थाना नं0–30 के पूर्व प्रधान दुखिया हेम्ब्रम का पुत्र रीचु हेम्ब्रम है, जो अपने पिता के मृत्युपरान्त कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य कराता आ रहा है।

उन्होंने अपने आदेश में रीचु हेम्ब्रम के वंशावली अंकित किये है, जो इस प्रकार है:–

दुखिया हेम्ब्रम (प्रधान)

⇩

रीचु हेम्ब्रम (पुत्र)

| आदेश की कमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| | इस प्रकार विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने आवेदक रीचु हेम्ब्रम को प्रधानी पद के एक मात्र उत्तराधिकारी मानते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने अंचल अधिकारी, बोरियो से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह भी अपने आदेश में उल्लेख किए है कि मौजा–गवईभीठा में बहाल प्रधान नहीं हैं। इस मौजा में प्रधान के पद पर बहाली हेतु दो रैयतों के बीच आपसी विवाद चल रहा है। आवेदिका छीता सोरेन द्वारा प्रधानी पद पर बहाली हेतु आवेदन अंचल कार्यालय, बोरियो में दिया गया। आवेदिका छीता सोरेन के आवेदन में पिता–स्व0 धानु सोरेन है। पूछ–ताछ से पता चला कि आवेदिका छीता सोरेन के पिता–स्व0 बुधन सोरेन है। आवेदिका के नाम भी गलत है। आवेदन में सीता सोरेन लिख रहा है। परन्तु छीता सोरेन नाम है। आवेदिका के पिता प्रधान नहीं था। बड़ा धानु सोरेन के नाम से प्रधानी जोत जमीन कह कर जमाबंदी नं0–1 में दर्ज है। ग्रामीण एवं 16 आना रैयत के आधार पर दोनों पदों में 10–10 आदमी साथ में है। आवेदिका का आरोप है कि मौजा–गवईभीठा का रैयत जमाबंदी नं0–09 का रीचु हेम्ब्रम उर्फ सुफल हेम्ब्रम है। प्रधान दुखिया हेम्ब्रम का पुत्र है एवं रीचु हेम्ब्रम द्वारा दावा किया गया है कि 1991–92 से पंजी–II में दुखिया हेम्ब्रम प्रधानी चल रहा है एवं राजस्व रसीद प्राप्त है।<br>अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करते हुए छीता सोरेन के आवेदन को निरस्त करते हुए रीचु हेम्ब्रम, पिता–दुखिया हेम्ब्रम को मौजा–गवई भीठा को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया है, जो न्यायसंगत है।<br>सुनवाई के क्रम में 16 आना रैयतों से सहमति हेतु इस न्यायालय के ज्ञापांक 262/डी0बी0, दिनांक 25.11.2021 द्वारा अनुमंडल पाधिकारी, साहेबगंज से कैम्प कोर्ट कर मौजा–गवईभीठा का प्रतिवेदन की माँग की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 200/डी0बी0, दिनांक 06.01.2022 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा के 16 आना रैयतों की बैठक अंचल अधिकारी, बोरियो, राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक की उपस्थिति में आयोजित कर प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष वर्तमान प्रधान रीचु हेम्ब्रम के पक्ष में 27 (सताइस) व्यक्तियों ने मत दिया एवं प्रथम पक्ष छीता सोरेन के पक्ष में 21 (एकीस) मत दिया गया। इस प्रकार रीचु हेम्ब्रम को इक्कीस मत के मुकाबले सताईस मत मिला। 16 आना रैयतों ने भी आमसभा में रीचु हेम्ब्रम को पूर्ववत कार्य करने देने की सहमति जताई।<br>अतएव उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि मौजा–गवईभीठा के 16 आना रैयतों द्वारा भी उत्तरवादी रीचु हेम्ब्रम, पिता–दुखिया हेम्ब्रम को मौजा–गवईभीठा का सहमति है एवं प्रधान मानते है। इस आधार पर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पी0ए0 वाद संख्या 224/2006–07 में दिनांक 27.03.2012 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।<br>अतः अपीलार्थी छीता सोरेन, पिता–बुधन सोरेन द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पी0ए0 वाद संख्या 224/2006–07 में दिनांक 27.03.2022 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखा जाता है। पारित आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं अंचल | |

| आदेश की कमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|



अधिकारी, बोरियो को भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/3/22
उपायुक्त
साहेबगंज।

11/3/22
उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.04.09 15:55:55 +05:30
Location: 192.168.0.155